राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3457/2018

दिलीप कुमार देवानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.09.2018
आदेश की दिनांक : 04.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री इमरान खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ साथ ही पदोन्नति वरिष्ठता एवं नियमानुसार प्रदान किया जावे तथा 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रूपये 29,998/– पर (निलंबन अवधि का बोनस) दिया जावे एवं निलंबन काल के समय 270 दिवस का उपार्जित अवकाश का भुगतान एवं उस पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जावे तथा शेष राशि रूपये 16,66,882/– पर भी 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 18.01.1986 को हुई थी और उसे दिनांक 18.10.1989 वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 25.03.2004 से अपीलार्थी सेवाकाल के दौरान निलंबित रहा, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2947/2011 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 01.11.2011 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को अभ्यावेदन देने एवं

प्रत्यर्थी विभाग को उसका निस्तारण करने का आदेश दिया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने कोई निराकरण नहीं किया और अपीलार्थी को बहाल करने के बावजूद उसे न तो द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ और न ही वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.05.2014 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देने तथा वेतन निर्धारण करने का आदेश दिया। अपीलार्थी को अपराधिक मामला संख्या 436/2015 धारा 420, 467, 468 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 21 जयपुर महानगर द्वारा निर्णय दिनांक 17.05.2017 के द्वारा दोषमुक्त घोषित किया गया। दोषमुक्त होने के बावजूद अपीलार्थी को उक्त चयनित लाभ एवं पदोन्नति लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी का द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 18.01.2004 और तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 18.01.2013 से देय है। राजस्थान सेवा नियम के नियम 54(2) के तहत अपीलार्थी निलंबन काल अवधि दिनांक 22.03.2004 से 26.11.2012 तक वेतन भत्ते आदि प्राप्त करने का अधिकारी है, जो वह निलंबन काल से पूर्व प्राप्त कर रहा था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को तृतीय चयनित वेतनमान, वरिष्ठता, पदोन्नति, उपार्जित अवकाश का भुगतान एवं बोनस आदि का लाभ दिए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने निलंबन काल का बोनस एवं 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को जारी करवाया तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8131/2018 दिलीप कुमार देवानी बनाम राज्य प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.04.2018 को आदेश पारित करते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ साथ ही पदोन्नति वरिष्ठता एवं नियमानुसार प्रदान किया जावे तथा 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रूपये 29,998/– पर (निलंबन अवधि का बोनस) दिया जावे एवं निलंबन काल के समय 270 दिवस का उपार्जित अवकाश का भुगतान एवं उस पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जावे तथा शेष राशि रूपये 16,66,882/– पर भी 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध निजी अपराधिक फौजदारी मुकदमा अपर सिविल न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 21 जयपुर में एफआईआर संख्या 46/2004 धारा 420, 468, 469, 471 एवं 120बी के तहत मुकदमा दर्ज होने के पश्चात् न्यायिक हिरासत में लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर सीसीए नियम 1958 के नियम 13(1)(2) के अंतर्गत आदेश दिनांक 25.03.2004 द्वारा दिनांक 22.03.2004 से निलंबित किया गया था। निलंबन काल में निर्वाह भत्ता देय किया गया और उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 के द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को बहाल किया गया तथा निलंबन अवधि दिनांक 22.03.2004 से 26.11.2012 तक राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54(2) के प्रावधानानुसार नियमित सेवाकाल मानते हुए निलंबन काल की अवधि का वेतन एवं मंहगाई भत्ता आदि उसी दर से प्राप्त करेंगे जो वह सेवा में रहते हुए निलंबन होने से पूर्व प्राप्त कर रहे थे तथा उक्त अवधि सभी प्रयोजनार्थ मान्य होगी के आदेश जारी किए गए। अपीलार्थी को एरियर की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि पर नियमों में ब्याज दिए जाने का प्रावधान नहीं है। असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धियां भी स्वीकृत की गई और दिनांक 01.09.2006 से वेतन निर्धारण भी कर दिया गया। सातवें वेतन में आदेश दिनांक 05.01.2018 द्वारा वेतन निर्धारण कर दिया गया, जिनका भुगतान किया जा चुका है। अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 18.01.2004 से देयता बनती थी। किंतु आदेश दिनांक 04.10.1998 द्वारा परिनिंदा के दण्ड आदेश दिनांक 05.08.2000 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड, आदेश दिनांक 14.11.2003 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड, आदेश दिनांक 17.11.2004 द्वारा एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं आदेश दिनांक 15.01.2005 द्वारा वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। तृतीय चयनित वेतनमान के संबंध में अपीलार्थी की वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी होने के कारण चयनित वेतनमान निर्धारित दिनांक 18.01.2018 को देय न होकर दिनांक 18.01.2020 को देय होती है। राजस्थान सेवा नियम 91(क)(1) के अनुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान संबंधित रिक्ति वर्ष में आवेदन करने पर देय होता है और इस प्रकार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.06.2018 द्वारा वर्ष 2012–13 से 2018–19 अधिकतम 315 दिवस के उपार्जित अवकाश उसके अवकाश लेखा खाते में जोडा गया। उपार्जित अवकाश का नकद

भुगतान नियमानुसार संबंधित वित्तीय वर्ष में आवेदन करने पर ही देय होता है। इस प्रकार अपीलार्थी उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं किए जाने के कारण ब्याज की देयता नहीं बनती है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2017 के स्पष्टीकरण (बी) में उल्लेखित किया गया है कि जो कर्मचारी निलंबन से समस्त परिलाभों की देयता से बहाल किया गया हो तो निलंबन अवधि का बोनस देय है और यह प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी वर्ष 2003–04 से वर्ष 2017 तक के बोनस संबंधी आदेशों में उल्लेखित है। अपीलार्थी को वर्ष 2003–04 से 2012–13 के अवधि कुल बोनस राशि स्वीकृत की जा चुकी है और बोनस के भुगतान पर ब्याज की देयता के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील बलहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी और उसे दिनांक 18.10.1989 वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी दिनांक 22.03.2004 से 26.11.2012 तक निलंबित रहा। उसे अपराधिक मुकदमा संख्या 436/2015 धारा 420, 467, 468 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 21 जयपुर महानगर द्वारा निर्णय दिनांक 17.05.2017 के द्वारा दोषमुक्त घोषित किया गया। राजस्थान सेवा नियम 54(2) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *''जहां प्राधिकारी को यह स्पष्ट हो जाए कि कर्मचारी को पूर्णतया दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा उसका निलंबन काल पूर्णतः अनुचित था तो कर्मचारी उस अवधि का वेतन एवं मंहगाई भत्ता उसी दर पर प्राप्त करेगा जो वह सेवा से निलंबित, निष्कासित या अनिवार्यता सेवानिवृत्ति नहीं किया जाता तो, प्राप्त करता।''*

उक्त नियमों के अनुसार अपीलार्थी को वेतन भत्ते एवं बोनस आदि का लाभ विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। जहां तक अपीलार्थी को बोनस राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2017 के स्पष्टीकरण (बी) में स्पष्ट किया गया है कि *जो कर्मचारी निलंबन से समस्त परिलाभों की देयता से बहाल किया गया हो तो निलंबन अवधि का बोनस देय है* और यह प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी वर्ष 2003–04 से वर्ष 2017 तक के बोनस संबंधी आदेशों में उल्लेखित है। परंतु बोनस के भुगतान पर

ब्याज की देयता के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक उपार्जित अवकाश का भुगतान का संबंध है। इस संबंध में राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी भी कार्मिक को उपार्जित अवकाश का भुगतान संबंधित वर्ष में आवेदन करने के उपरांत ही भुगतान किया जाता है। इसलिए अपीलार्थी के उपार्जित अवकाश को उसके अवकाश लेखा खाता में जोडा गया। अतः अपीलार्थी का यह तर्क बलहीन है। अपलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 18.01.2004 एवं 18.01.2013 से नहीं दिए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश दिनांक 04.10.1998 द्वारा परिनिंदा के दण्ड आदेश दिनांक 05.08.2000 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड, आदेश दिनांक 14.11.2003 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड, आदेश दिनांक 17.11.2004 द्वारा एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं आदेश दिनांक 15.01.2005 द्वारा वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त दण्डों के आधार पर 18 वर्ष एवं 27 वर्ष की सेवापूर्ण होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 18.01.2004 एवं 18.01.2013 को नहीं दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाई जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य